न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 26/2019(जी.सी.एम.एस. 2019/00106)

प्रार्थी	बनाम अप्रार्थीगण
1. बहादूर राम पुत्र शेराराम जाति कुम्हार निवासी फूसेवाला तहसील श्रीकरणपुर। हाल घडसाना, तहसील घडसाना।	1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर। 2. नीनामल पुत्र नामालूम जाति सिन्धी निवासी 23 एफ तहसील श्रीकरणपुर।

तारीख रजू:– 28.05.2019

उपस्थितः **1.श्री जसकरण गोदारा अधिवक्ता प्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम–1956,

—निर्णय—

दिनांक : 15.10.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि भारत सरकार बतौर रिफूजी लिला बाई पत्नी हीरा नन्द कोम खत्री सिन्धी को चक 23 एफ के मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 1,2,9 ता 12, 18 ता 23 कुल 12 बीघा भूमि एंव मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 1, 10 की 1 बीघा 8 बिस्वा भूमि अलॉट हुई थी। इस भूमि की सनद नम्बर 4418 सैटलमेंट ऑफिसर द्वारा दिनांक 11.06.1963 को जारी की गई थी। उक्त सनद का इन्तकाल संख्या 24 दर्ज किया गया। चक 23 एफ का मुरब्बा नम्बर 38 का नया मुरब्बा नम्बर 50 के स्थान पर मुरब्बा नम्बर 51 सहवन से दर्ज हो गया। तत्कालीन जमाबन्दी सम्वत 2020 ता 2023 में भी चक 23 एफ के मुरब्बा नम्बर 38 का नया मुरब्बा नम्बर 50 के स्थान पर 51 गलत दर्ज हो गया है। प्रार्थी के पिता शेरा राम द्वारा लीला बाई पत्नी हीरांनन्द की भूमि जरिए मुखत्यारेआम कृष्णलाल पुत्र हरीनंद से दिनांक 21.03.1967 को जरिये पंजीकृत बेयनामा द्वारा चक 23 एफ के मुरब्बा नम्बर 38 के 1 बीघा 7 बिस्वा व मुरब्बा नम्बर 41 के 12 बीघा भूमि खरीद की गई। खरीद की दिनांक से प्रार्थी के पिता शेरा राम व वर्तमान में प्रार्थी का कब्जा शांतिपूर्वक चला आ रहा है। उक्त बैयनामा के इन्तकाल संख्या 25 में भी मुरब्बा नम्बर 50 के स्थान पर 51 सहवन से दर्ज हो गया। प्रार्थी अपने पिता का इकलौता वारिस था। प्रार्थी चक 23 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 2074 के मुरब्बा नम्बर 51 के स्थान पर मुरब्बा नम्बर 50 करवाने बावत अप्रार्थी से मिला। पहले तो अप्रार्थी आजकल कहकर टालते रहे। आखिर आज से 15 रोज पूर्व प्रतिवादी दुरूस्ती करने से साफ इन्कार हो गया। यही वाद कारण है। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 23 एफ, पटवार हल्का कमीनपुरा, भू.अ.नि.क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2071 ता 2074 के खाता संख्या 81/72 में मुरब्बा नम्बर 51 के स्थान पर 50 दुरूस्त किए जाने के आदेश दिए जावे।

2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पत्रांक 416 दिनांक 16.02.2022 व पंत्राक 5798 दिनांक 28.10.2022 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट के अनुसार चक 23 एफ के मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 1 की 0.202 हैक्टेयर, किला नम्बर 10 की 0.228 हैक्टेयर भूमि जो कि मिसल बन्दोबस्त से आदिनांक तक नीनामल जाति सिन्धी राष्ट्रपति भारत सरकार के नाम दर्ज चला आ रहा है, पर कब्जा काश्त बहादुर राम पुत्र शेराराम जाति कुम्हार के वारिसान का है तथा मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 1 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 10/1 की 0.114 हैक्टेयर भूमि जो कि संयुक्त खाता संख्या 81 में दर्ज है। एंव उक्त खाता में बहादुर राम पुत्र शेराराम का 0.342 हैक्टेयर हिस्सा है, उक्त रकबा पर खाते में दर्ज सहखातेदारों से भिन्न अन्य व्यक्ति का कब्जा काश्त है। अतः मौका कब्जा काश्त के आधार पर हाल खाता संख्या 81 में अंकित मुरब्बा नम्बर 51 की जगह 50 तथा हाल खाता संख्या 172 में अंकित मुरब्बा नम्बर 50 की जगह 51 दुरूस्त किया जाना उचित है। रिपोर्ट सामिल मिसल की गई। प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर नीनामल को बतौर अप्रार्थी संख्या 2 के रूप में संयोजित किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 को जरिए पंजीकृत डाक से नोटिस भेजकर तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 की तलबी के नोटिस अदम तामील वापिस प्राप्त होने पर तलबी सार्वजनिक स्थान पर चस्पा करवाकर करवाए जाने के

बहादुर राम बनाम राजस्थान सरकार आदि
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एलआरएक्ट
प्रकरण संख्या 26/2019

आदेश दिए गए। अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए।

3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थना पत्र प्रार्थी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 23 एफ, पटवार हल्का कमीनपुरा, भू.अ.नि.क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2071 ता 2074 के खाता संख्या 81/72 की प्रति, राजस्व ग्राम 23 एफ, पटवार हल्का कमीनपुरा, भू.अ.नि.क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2020 ता 2023 की प्रति, चक 23 एफ के मुरब्बा नम्बर 38 की अलॉटमेंट की प्रमाणित प्रति, सनद की छायाप्रति, चक 23 एफ के इन्तकाल संख्या 24 की प्रमाणित प्रति, इन्तकाल संख्या 25 की प्रमाणित प्रति, बैयनामा दिनांक 21.03.1967 की छायाप्रति, चक 23 एफ के मुरब्बा नम्बर 38 से 50 के मिलान क्षेत्रफल की प्रमाण्ति प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है, कि प्रार्थी के द्वारा राजस्व ग्राम 23 एफ, पटवार हल्का कमीनपुरा, भू.अ.नि.क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2071 ता 2074 के खाता संख्या 81/72 में मुरब्बा नम्बर 51 के स्थान पर 50 दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया गया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार मौका कब्जा काश्त के आधार पर हाल खाता संख्या 81 में अंकित मुरब्बा नम्बर 51 की जगह 50 तथा हाल खाता संख्या 172 में अंकित मुरब्बा नम्बर 50 की जगह 51 दुरूस्त किया जाना उचित है। लिहाजा आवंटन के मुताबिक लिला बाई पत्नी हीरा नन्द को चक 23 एफ के मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 1, 10 की भूमि आवंटित हुई थी। सनद खातेदारी भी मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 1, 10 की जारी की गई थी। सनद का इन्तकाल संख्या 24 दर्ज हुआ। मिसल बन्दोबस्त में मिलान क्षेत्रफल के अनुसार मुरब्बा नम्बर 38 को नया मुरब्बा नम्बर 50 अंकित कर दिया गया। परन्तु जमाबन्दी सम्वत 2020 ता 2023 में मुरब्बा नम्बर 38 से 50 दर्ज किया जाना चाहिए था। परन्तु मुरब्बा नम्बर 38 से 51 दर्ज कर दिया गया। जो एक लिपिकीय त्रुटि है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथ पत्र, के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

–:आदेश:–

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 136–राजस्व भू अधिनियम 1956 भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 23 एफ, पटवार हल्का कमीनपुरा, भू.अ.नि.क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2071 ता 2074 के खाता संख्या 81/72 में मुरब्बा नम्बर 51 के स्थान पर 50 व राजस्व ग्राम 23 एफ, पटवार हल्का कमीनपुरा, भू.अ.नि.क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 172/172 में मुरब्बा नम्बर 50 के स्थान पर 51 दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातो के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगें। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। आदेश इस आशया का तहसीलदार श्रीकरणपुर के नाम जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 15.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भू अभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर

दूरभाष नं0 01501226005

ईमेल sdo.srikaranpur@rajasthan.gov.in

क्रमांक :-रीडर/2024/548 दिनांक :-15.10.2024

तहसीलदार (राजस्व),

श्रीकरणपुर।

विषयः- प्रकरण संख्या 26/2019 अनवान बहादुर राम बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट में पारित निर्णय दिनांक 15.10.2024 संबध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनवान प्रकरण मे पारित निर्णय दिनांक 15.10.2024 के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 23 एफ, पटवार हल्का कमीनपुरा, भू.अ.नि.क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2071 ता 2074 के खाता संख्या 81/72 में मुरब्बा नम्बर 51 के स्थान पर 50 व राजस्व ग्राम 23 एफ, पटवार हल्का कमीनपुरा, भू.अ.नि.क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 172/172 में मुरब्बा नम्बर 50 के स्थान पर 51 दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातो के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}

उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भू अभिलेख अधिकारी

श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर) ★ सत्यमेव जयते